

**श्री विमल राजवंशी (रजौली), माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या-18/3/331 का उत्तर प्रतिवेदन**

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1	क्या यह बात सही है की नवादा जिला के रजौली प्रखण्ड अंतर्गत फुलवरिया जलाशय (हरदिया डैम) परियोजना के निर्माण के कारण वर्ष 1985 में विस्थापित हुए लगभग 850 परिवारों को पुनर्वास हेतु मौजा रामदासी, बौढीकला, हरदिया एवं जाजपुर में सिंचाई एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार को 25 डिसमिल भूमि आवंटित कर पर्चा प्रदान किया गया था, किन्तु आज तक उक्त भूमि पर रैयती अधिकार, जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व मान्यता प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण विस्थापित परिवार किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुनर्वास भूमि पर सभी पात्र विस्थापित परिवारों को रैयती अधिकार, जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकरात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि फुलवरिया जलाशय का निर्माण वर्ष 1988 में पूर्ण किया गया। जलाशय के निर्माण होने के फलस्वरूप प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु तत्कालीन पुनर्वास नीति के अनुरूप पात्र विस्थापित परिवारों को ग्राम रामदासी, बौढीकला, हरदिया एवं जाजपुर गांव में भूमि का अधिग्रहण कर हरदिया सेक्टर ए, बी, सी एवं डी में प्लॉटिंग कर के विस्थापितों को पुनर्वासित किया गया। पुनर्वासित करने के क्रम में प्रत्येक विस्थापित परिवार को 25 डिसमिल भूमि का पर्चा आवंटन किया गया। पुनर्वासित क्षेत्र में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे इंदिरा आवास/ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण, ग्रामीण सड़क, नाला, पेयजल, विद्युत विकास संबंधित योजनाओं से लाभान्वित होते रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा विस्थापितों को आवंटित भूमि का दाखिल खारिज कराने की कार्यवाई की जा रही है। दाखिल खारिज के उपरान्त विस्थापित परिवारों को आवंटित पर्चा की जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व मान्यता प्रदान करने की दिशा में नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:- 29/सं0का0-06-14/2026

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्र ज्ञापांक-प्रश्न विविध-04/2025-1068/विधान सभा, दिनांक-22.04.2026 के आलोक में नेवा पोर्टल यथा cms.neva.gov.in के माध्यम से विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने निमित्त आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-356, दिनांक-20.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0-18/3/331 के आलोक में उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

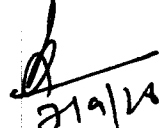
(बलिराम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 29/सं0का0-06-14/2026 5129

पटना, दिनांक:- 07/9/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/9/24
सरकार के संयुक्त सचिव।